राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.4(254)वित्त–1(1)आ.व्यय/2012/ जयपुर, दिनांक : 09.05.13

संबधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या – 28 /2013–14)

विषयः– पंचायत राज संस्थाओं के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 की राशि का पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4 ( ) पराvि/पी.सी./रा.गा.से.के/बजट/2012–13/471 दि0 01.05.2013 के साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रूपये 200.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावेः–

–:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :–

बजट मद
मांग संख्या – 41
2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
198– ग्राम पंचायतों को सहायता
(27)– राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा हेतु अनुबन्ध कार्मिको के मानदेय हेतु
[01]– संस्थापन
12– सहायतार्थ अनुदान(गैर संवेतन) आयोजना भिन्न
राशि रूपये 200.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ मात्र) (संलग्न सारणी के अनुसार)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भवदीय

(सुधीर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–
1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, वित्त (बजट)